



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-4424/JH/323/2025-RO-RNC/RU-IV

दिनांक : 30.09.2025

सेवा में

श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी

पत्नी श्री बरनु स्वांसी .स्व -,
ग्राम एवं पोस्ट हाटिंगहोडे -,
टोली बाजार बस्ती, थानाबानो -,
जिला (झारखंड) सिमडेगा - - 835201,
मो - 9798389326

विषय: "सिमडेगा बानो थाना कांड संख्या 61/2007 के आरोपियों पर कड़ी कारवाई करने के साथ - साथ जमीन रजिस्ट्री बिक्री पर रोक लगाने" के संबंध में

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **08.10.2025 समय 14.50 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

यो. प्र. यादव

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NHC for uploading